हरिभूमि

शौर्य भूमि

मंडला | अंजिनया | भुआबिछिया | बम्हनीबंजर | नैनपुर | निवास | बीजाडांडी

5

जबलपुर, मंगलवार 2 जुलाई 2024

login : www.haribhoomi.com

खबर संक्षेप

क्षतिग्रस्त ध्वजों को बदल दिया जाना चाहिये

मण्डला। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे नगर को राम ध्वजों से सजाया गया है बीतते समय के साथ-साथ ये ध्वज क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इन क्षतिग्रस्त ध्वजों का यूं लहराते रहना शोभा नहीं दे रहा सभी सनातनी यह चाहते हैं कि इन ध्वजों को बदल दिया जाये और इनके स्थान पर नये ध्वज लगा दिये जायें ताकि एक ओर जहां लोगों की धार्मिक भावनायें प्रभावित न हों वहीं दूसरी ओर नगर की सुन्दरता भी कायम रह सके।

एसबीआई ने विद्यार्थियों को दिये लैपटॉप

मण्डला। सामाजिक सेवा बैंकिंग के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मण्डला बालाघाट और सिवनी जिले के आदिवासी जनजाति के पांच मेरिटोरियस स्टूडेंट को लैपटॉप का वितरण किया है। यहां पर राकेश कुमार उइके, लवकेश तांडे, देविका पांड्रो, अमोल निकोसे, अनुष्का वालके को लैपटॉप दिया गया इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक अर्जुनसिंह बिष्ट ने कहा की भारतीय स्टेट बैंक सामाजिक सहभगिता के लिए इस तरह के सामाजिक सेवा कार्य करती रहती है इसी तारतम्य में सोमवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं करने पर प्राचार्य निलंबित

मण्डला। पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने, छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं करने पर कमिश्नर अभय वर्मा द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिंडरई की प्रभारी प्राचार्य फूलवती परस्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रभारी प्राचार्य फूलवती परस्ते द्वारा विद्यालय के 877 विद्यार्थियों में से केवल 554 बच्चों का ही प्रोफाईल पंजीयन किया गया है तथा किसी भी बच्चे की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की गई है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मंडला नियत किया गया है।

थानों एवं चौकियों में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान

नए कानूनों के बारे में दे रहे जानकारी

*** पुलिस अधीक्षक ने लोगों को विस्तार से समझाया।**

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

कल 01.07.2024 से नये कानूनों की शुरूआत हुई जिसको लेकर समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगो को नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारें में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। तीनों नवीन कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को सरकार के द्वारा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ति की समस्याओं को केंद्र में रखकर अपराधियों के लिए कड़ी सजा आदि का प्रावधान किया गया है। कहीं पर भी घटना होने पर किसी भी थाना पर FIR की सुविधा तथा घर बैठे ही E-FIR का भी प्रावधान हैं। नये कानून में डिजिटल व फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को भी बढ़ाया गया है एवं प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। जैसेः- कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्जशीट पेश करना है और केस की अपडेट पीड़ति को कितनी समय सीमा में दी जाएगी। गवाह व पीड़ित आदि के बयान की वीडियो ग्राफी करना तथा बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की भी प्रक्रिया है। पुलिस टीम ने आमजन को नए व पुराने कानूनों के तुलनात्मक चार्ट और प्रावधानों को पीपीटी व पोस्टर आदि के माध्यम से समझाया। इसके साथ ही आमजन को भी इसकी जानकारी रहे इसे ध्यान में रखते हुए जिला मण्डला के सभी थानों मे भारतीय न्याय संहिता एंव भारतीय दण्ड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर लगाये गये ताकि थाने पर आने वाले किसी भी फरियादी एवं आमजन को नवीन अपराधिक कानून की विभिन्न धाराओं व प्रावधानों के साथ अपराधिक विधिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी रहें।

महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। प्रस्तावित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पहला अध्याय अब महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित सजा के प्रावधानों से संबंधित है। इन प्रावधानों के अनुसार जहां बच्चों से अपराध करवाना व उन्हें आपराधिक कृत्य में शामिल करना दंडनीय अपराध होगा वहीं नाबालिग बच्चों की खरीद-फरोख्त जघन्य अपराधों में शामिल की जाएगी। नाबालिग से गैंगरेप किए जाने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। नए कानूनों के अनुसार पीड़ित का अभिभावक की उपस्थिति में ही बयान दर्ज किया जा सकेगा। इसी प्रकार नए कानूनों में महिला अपराधों के संबंध में अत्यंत सख्ती बरती गई है। इसके तहत महिला से गैंगरेप में 20 साल की सजा और आजीवन कारावास, यौन संबंध के लिए झूठे वादे करना या पहचान छिपाना भी अब अपराध होगा। साथ ही पीड़िता के घर पर महिला अधिकारी की मौजूदगी में ही बयान दर्ज करने का भी प्रावधान है। इस प्रकार नए कानून में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध घटित करने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कड़ी सजा के प्रावधान हैं।

नए कानूनों में खास

अदालतों में पेश और स्वीकार्य साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मेल, उपकरणों के मैजेस को शामिल किया गया है। केस डायरी, एफआईआर, आरोप पत्र और फैसले सहित सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भी न्यायालयों में पेशी हो सकेगी। अब 60 दिन के भीतर आरोप तय होंगे और मुकदमा समाप्त होने के 45 दिन में निर्णय देना होगा। वहीं सिविल सेवकों के खिलाफ मामलों में 120 दिन में निर्णय अनिवार्य होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मामलों की तय समय में जांच, सुनवाई और बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देने का प्रावधान है। इसी प्रकार छोटे और कम गंभीर मामलों के लिए समरी ट्रायल अनिवार्य होगा। नए कानूनों में पहली बार अपराध पर हिरासत अवधि कम रखी जाने व एक तिहाई सजा पूरी करने पर जमानत का प्रावधान है। साथ ही किसी भी शिकायतकर्ता को 90 दिन में जांच रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा और गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी।

नए कानूनों से होने वाले लाभ

ई-एफआईआर के मामले में फरियादी को तीन दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करने होंगे। नए बदलावों के तहत जीरो एफआईआर को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया है। फरियादी को एफआईआर, बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है। यानी वे पेनड्राइव में अपने बयान की कॉपी ले सकेंगे। इस प्रकार नए कानूनों में आमजन को बहुत सारे लाभ प्रदान किए गए हैं।

नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर कांग्रेसियों ने फूंका पुतला

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें अस्तित्वहीन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता एवं नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने की घटना विस्तृत रूप से उजागर हुई है जिसमें मध्यप्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उक्त नर्सिंग घोटाले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल की घटनाएं उजागर हुई है जिसके लिए मंत्री श्री सारंग सीधे-सीधे जिम्मेदार है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री विश्वास सारंग आज भी अपने पद पर काबिज है।

उपरोक्त नर्सिंग कॉलेज घोटाला छात्र-छात्राओं के भविष्य के अंधकारमय करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव मोहम्मद सुलेमान, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत बरबडे सहित कई अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों की संलिप्तता उजागर हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों सहित आम जनता में भारी रोष व्याप्त है।

महामहिम राज्यपाल से प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले जैसे कलंक की सम्पूर्ण जांच कराकर कार्यवाही की जाने एवं जांच पूर्ण होने के पूर्ण प्रथम दृष्टा अपराध में संलिप्त प्रतीत हो रहे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान एवं निशांत बरबडे को तत्काल निलंबित कर जांच कार्यवाही कराई जाने एवं मंत्री विश्वास सारंग को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने की मांग जिला कांग्रेस कमेटी मण्डला ने अपने ज्ञापन के माध्यम से की।

इस दौरान पूर्व विधायक डॉ अशोक मर्सकोले, जिला कांग्रेस अध्यक्ष एड. राकेश तिवारी, मुकेश कछवाहा, बब्बी राय, योगेश उपाध्याय, इंद्रजीत भंडारी, कमलेश तिलगाम, नूरेऐन मंसूरी, श्रीकांत कछवाहा, रजनीश रंजन उसराठे, इकबाल खान, सौरभ साहू,मीडिया प्रभारी विवेक दुबे शामिल रहे।

कानून की नई किताबों को पुलिस ने किया प्रदर्शित

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला/भुआबिछिया

बिछिया पुलिस द्वारा थाना परिसर में सोमवार को नया भारत-नया विधान के अंतर्गत 01 जुलाई 2024 से लागू हुआ नए कानून और बदली हुई धाराओं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आदि के बारे में आम नागरिकों को अवगत कराने और जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। उपस्थित नागरिकों को नए अधिनियम, ई एफआईआर, बदली हुई धाराएं, साक्ष्य अधिनियम में हुए बदलाव, नए सजा के प्रावधान, गवाहों के वीडियो रिकॉर्डिंग संबंधित कानून आदि के बारे में अवगत कराया ।

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आसिफ खान ने नए कानून और बदली हुई धाराओं की जानकारी देते हुए नये कानून के माध्यम से नागरिकों की सुरक्षा के किए गए प्रावधान से अवगत कराया। बच्चों से जुड़ी धाराएं और कानून की विस्तृत जानकारी उदाहरण के माध्यम से समझाई गई।

बिछिया टी.आई. धर्मेंद्र सिंह धुर्वे ने कानून की नई किताबों को प्रदर्शित कर नागरिकों को और नए कानून व धाराओं से जुड़ी जानकारी दी। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार, समाजसेवी, पुलिस सहयोगी दल के सदस्य, जनपद सदस्य, पार्षदगण एवं नागरिक उपस्थित थे।

घुघरी में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला/घुघरी

कल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घुघरी के समस्त कांग्रेस जन जनता की मांगो को लेकर मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घुघरी के माध्यम से 13 बिंदुओं का अविलंब निराकरण कराने हेतु ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है जो निम्नानुसार है- नर्सिंग घोटाला की उच्च स्तरीय जांच की जाए एवं दोसियो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शीघ्र किया जाए। विधान सभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रूपये एवं धान का समर्थन मूल्य 3100 रूपये की घोषणा की गई थी,शीघ्र लागू किया जाए। विधान सभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गैस की कीमत 450 की घोषणा की गई थी शीघ्र लागू किया जाए। विधान सभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाडली बहना योजना अंतर्गत महिलाओं को 3000 रूपये दिए जाने की घोषणा की गई थी शीघ्र दिया जाए। तहसील मुख्यालय घुघरी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना किया जाए। तहसील मुख्यालय घुघरी मे महाविद्यालय की स्थापना किया जाए। विकासखंड घुघरी के बालक एवं बालिका छात्रावासो में सीट वृद्धि किया जाए। तहसील मुख्यालय घुघरी मे विश्राम गृह की स्थापना किया जाए। विकासखंड घुघरी मे विधुत विभाग के कर्मचारियों की संख्या मे वृद्धि की जावे। विकासखंड घुघरी अंतर्गत ग्रामों में स्वीकृत नल जल योजना में ठेकेदार द्वारा 100 प्रतिशत घरों में नल जल योजना का कनेक्शन नहीं किया गया है जिसे पूरा किया जाए एवं घटिया किस्म के पाईप लाईन डालने के कारण जगह-जगह लीकेज होने के कारण पूर्ण किए गए ग्रामों में योजना संचालित नही हो पा रही हैं जिसकी जांच किया जाय। बस स्टेंड घुघरी का फर्शीकरण कार्य हो चुका है सब्जी व्यापारियों को दुकान लगाने हेतु उचित स्थान दिया जाए ताकि यात्री एवं बस स्टेंड में रुक सके। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघरी में महिला डॉक्टर की अविलंब नियुक्ति की जाए। पदमी रामनगर घुघरी सलवाह मार्ग का निर्माण जारी है परंतु घुघरी मे सड़क किनारे अतिक्रमण होने के कारण पूर्ण नही हो पा रहा है शीघ्र अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्य जारी कराया जाए।

इस अवसर पर अरविंद कुमार कुशराम अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घुघरी, नेतराम साहू विधायक प्रतिनिधि घुघरी एवम जिला महामंत्री, श्रीमती गीता मरावी जिला पंचायत सदस्य, अमर लाल मांडवे सेवादल अध्यक्ष, संजू पटेल मंडलम अध्यक्ष, अरविंद झरिया ब्लॉक प्रवक्ता, मेवा धुर्वे, अशोक अहिरवार सेक्टर अध्यक्ष, गणेश परते, सोहन उइे, पंकज झारिया, अंकित दुबे सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

निर्देश | **भ्रमण करते हुए योजनाओं में प्रगति लाएं-डॉ. सिडाना**

आदर्श ग्राम चयन की प्रक्रिया शीघ्र हो

*** योजनाओं का फीडबैक भी प्राप्त करें।**

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

समय-सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी आवंटित क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए विभागीय योजनाओं में प्रगति लाएं। भ्रमण के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक फीडबैक प्राप्त करें तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करें। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट, अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त कलेक्टर अरविंद सिंह सहित सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनमन योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराएं। तकनीकि अमला मॉनिटरिंग करते हुए कार्यों को समय पर पूरा कराने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ईकेवाईसी का कार्य जल्द पूर्ण करें। नवीन स्वीकृत आईटीआई में नियमानुसार प्रवेश प्रदान करें, कोई भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। जनमन योजना के तहत आदर्श ग्राम चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। रेत उत्खनन तथा मत्स्याखेट पर लगाए गए प्रतिबंध पर सख्ती से पालन कराएं। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण करें। इस संबंध में उन्होंने शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने एक पेड़ मां के नाम, जनमन योजना, किसान सम्मान निधि तथा टीएल प्रकरणों के संबंध में भी विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

फायर एनओसी नहीं लेने वाले निजी अस्पताल पर कार्यवाही करें

बैठक में कलेक्टर ने निजी अस्पतालों में फायर एनओसी के संबंध में की गई कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि योगीराज अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा अभी भी फायर एनओसी के संबंध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है, जिस पर कलेक्टर ने आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने फटाखा दुकानों की जांच के संबंध में भी सभी एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए।

एसडीएम करें मध्यान्ह भोजन की समीक्षा

कलेक्टर डॉ. सिडाना ने निर्देशित किया कि सभी स्कूल, छात्रावास एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन का उठाव निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराएं। सभी एसडीएम अपने स्तर पर समीक्षा करते हुए प्रतिमाह समय पर खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित कराएं। मध्यान्ह भोजन एवं पोषण आहार में गुणवत्ता तथा मेन्यू का पालन करें तथा आवश्यक जानकारी निर्धारित पोर्टल पर प्रतिदिन अंकित करें।

बैठक में कलेक्टर ने स्कूल चलें हम अभियान की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक घरों में सर्वे करते हुए शाला जाने योग्य प्रत्येक बच्चे का स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित करें। सर्वे की रिपोर्ट घर की दीवार पर अंकित करें। शालाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास करें। पुस्तकों का वितरण समय पर करें। शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दें। डॉ. सिडाना ने पल्सपोलियो अभियान तथा दस्तक अभियान की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

कार्यालय नगर परिषद निवास जिला मण्डला (म.प्र.)

क्र/न0परि0/2024/199 — निवास, दिनांक 28/06/2024

// निविदा आमत्रंण-सूचना//

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद् निवास द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 (15 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक) के लिये दैनिक, साप्ताहिक मदई गुदरी एवं काली हाउस की निलामी किया जाना है। अतः इच्छुक व्यक्ति दिनांक 08/07/2024 तक कार्यालयीन समय में अमानत राशि जमा कर नीलामी तिथि की बोली में भाग ले सकते है।

क्र.	नीलामी मद	नीलामी की तिथि	समय	शासकीय बोली	अमानत राशि
1	दैनिक, साप्ताहिक बाजार एवं मड़ई-गुदरीबाजार नीलामी	09/07/2024 दिन मंगलवार	दोपहर 12:00 बजे से नगर परिषद समभाकक्ष में।	1016000/-	25000/-
2	कांजी हाऊस नीलामी	09/07/2024 दिन मंगलवार	दोपहर 12:00 बजे से नगर परिषद समभाकक्ष में।	35500/-	5000/-

टीप- 1अमानत राशि जमा उपरांत ही नीलामी में भाग ले सकेंगे। 2--नीलामी में भाग लेने वाले ठेकेदार को अपने नाम से/माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के नाम से निकाय के समस्त करों का भुगतान कर प्रमाण पत्र राजस्व प्रभारी से प्राप्त कर अमानत राशि जमा करेंगे।

श्रीमति हेमलता परस्ते, अध्यक्ष, नगर परिषद निवास — श्री बसंत चौधरी, उपाध्यक्ष, नगर परिषद निवास — श्रीमति राजकुमारी सिंगरौरे, सभापति राजस्व, नगर परिषद निवास — श्री गजानन नाफड़े, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद निवास

खबर संक्षेप

सिहोरा में अन्य बैक शाखाएं खोलने की उठ रही मांग

सिहोरा/बोहानी। इस समय सिहोरा क्षेत्र के लगातार हो रहे विकास के साथ साथ केन्द्र से लेकर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ भी लोगों को बैकों के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इतना ही नही इस क्षेत्र में के लोग जहां मूलरूप से कृषि से जुडे हुए है, वही यहां पर रेल्वे स्टेशन, पुलिस चौकी, विद्युत मंडल कार्यालय, टेलीफोन आफिस, शासकीय एवं निजी चिकित्सालय, शासकीय महाविद्यालय, शासकीय व निजि स्कूल, गुड मंडी, अनाज मंडी सहित अन्य ऐजेन्सी संचालित हो रहे है जिसके चलते लोगों का अधिकांश कार्य बैकों के माध्यम से ही चलता है, मगर सिहोरा क्षेत्र में मात्र एक ही बैक शाखा होने के कारण जहां लोगों को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करने मजबूर होना पड़ रहा है, वही वह पैसों के लेन देन में भी काफी दिक्कतों से घिरे होने के कारण क्षेत्र के लोगों द्वारा अन्य निजी बैकों के साथ साथ शासकीय बैकों की शाखाएं खोलने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर सिहोरा क्षेत्र के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से सेन्ट्रल बैक आफ इंडिया, यूनियन बैक आकरेडिया के आलवा रिजर्व बैक को भी एक आवेदन देते हुए यहां अन्य बैकों की शाखाएं खोलने की मांग की गई है, क्योंकि शायद ही क्षेत्र में कोई ऐसा कस्बा होगा जहां पर लोगों द्वारा संबंधित बैकों के अधिकारियों को सामूहिक रूप से आवेदन देते हुए बैक शाखाएं खोलने की जागरूकता दिखाई गई है। वही दूसरी ओर लोगों द्वारा जिला कलेक्टर से भी मांग की गई है कि वह सिहोरा में अन्य बैकों की शाखा खोलवाने हेतु प्रयास करे जिससे लोगों को बैकों के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।

अंडा दुकानों से बिगड़ रहा माहौल

सालीचौका। इस समय जिस प्रकार से शराबखोरी करने वाले लोगों से आमजन को परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर होते हुए देखा जा रहा है, उसके चलते नगर की कानून व्यवस्था पूर्णरूप से पटरी पर उतरते हुए देखी जा रही है, इस सब का प्रमुख कारण मात्र एक ही देखा जा रहा है कि नगर के अंदर संचालित होने वाली पान दुकानों के चलते एक ओर नगर का वातावरण प्रदूषित होने से नही बच पा रहा है, वही दूसरी ओर इन अंडा दुकानों पर शाम होते हुए जिस प्रकार से शराबखोरी करने वाले लोगों का जमावाड़ा लग जाता है उसके चलते आम लोगों मुख्य मार्गो से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नगर में जहां तहां लगी हुई इन अंडा दुकानों के चलते स्थिति इस प्रकार से देखी जा रही है कि शराब के नशे में मस्त लोगों द्वारा जिस प्रकार से अपशब्दों का उपयोग किया जाता है उसके चलते यहां पर रहवास करने वाले लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है।

खुले पडे शौचालयों की सच्चाई को नजर अंदाज किया जाना पड़ रहा है भारी

सालीचौका। देश को स्वच्छ व स्वास्थ्य बनाने की सोच के चलते सरकार द्वारा शुरू की गई स्वच्छता की मुहिम के चलते जिस प्रकार से लगभग चार वर्ष पूर्व जिस प्रकार से जिले से लेकर ब्लाक स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों द्वारा अपनी वाही वाही लूटने के लिए जिले को बाह्य शौच घोषित मुक्त कराये जाने की जो रामलीला की गई थी, उसको लेकर स्थानीय अखबारों द्वारा लगातार इस बात को उजागर किया जा रहा था कि जब लोगों के घरों में अभी तक शौचालयों का निर्माण हुआ ही नही है तो फिर आखिर में जिला बाह्यशौच मुक्त घोषित कर कैसे दिया? मगर इस बात को लेकर न तो उस समय जिले के नेताओं द्वारा ध्यान दिया गया और न ही विपक्ष में बैठी हुई राजनीतिक पार्टीयों द्वारा जिसका परिणाम यह हुआ कि जिला स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार से अपनी वाही वाही लूटने के लिए संपूर्ण जिले को इस प्रकार से लगभग चार वर्ष पूर्व प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा बाह्यशौच मुक्त घोषित कराते हुए सम्मान पाया गया था, वह सिर्फ चर्चा का विषय ही नही बल्कि उस समय विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों की उदासीनता को भी उजागर करते हुए जान पड़ रहा था?

वृक्षारोपण के नाम पर किये जा रहे करोडों खर्च

फिर भी दिखाई नहीं दे रही है हरियाली

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा।

आये दिन देखा जाता है कि लोगों द्वारा सुर्खियों में छाने की होड़ के चलते जहां तहां वृक्षा रोपण इस प्रकार से किया जाता है कि शायद वह पर्यावरण को सुधारने में अहिम भूमिका निभाने से नही चूकेगे? मगर वही दूसरी ओर यदि इस सच्चाई पर गौर किया जावे तो उनकी यह मुहिम दूसरे दिन अखबारों में फोटो प्रकाशित होने तक ही सीमित रहने की स्थिति के आलवा और कुछ साबित होने से नही चूक पाती है? शासन द्वारा हर वर्ष पर्यावरण सुधार को लेकर वृक्षारोपण के नाम पर खर्च की जाने वाले इस सरकारी राशि की सच्चाई पर गौर किया जावे तो पूर्व के समय में अनेक जगहों पर नेताओं से लेकर अधिकारियों द्वारा रोपे गये वृक्षों का क्या हाल है यह बात शायद ही किसी से छिपी नही है? क्योंकि वृक्षारोपण के उपरांत शायद ही कभी किसी नेता, अधिकारी द्वारा रोपे गये हुए वृक्ष की खबर लेते हुए देखा गया हो? इस संबंध में बताया जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत क्षेत्रवासियों की उम्मीद थी कि शायद इस योजना के तहत लगभग पांच सात वर्ष पूर्व से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में लाखों की राशि खर्च करते हुये पैदा रोपे गये थें। यदि इन पौधों का रोपण निष्ठा के साथ किया गया होता तो वह सात साल में पेड़ बने चुके होते, मगर सच्चाई यह है कि उनके दर्शन दुर्लभ होने से नही चूक रहे है? वही ग्रामीण क्षेत्रों की सच्चाई पर नजर डाली जावे तो आलम यह है कि लगाए गए पेड़ तो गायब ही है साथ ही उनके लिए बने प्लेट फार्म भी लगभग गायब होते जा रहे है और पौधा रोपण के नाम पर पंचायतों के माध्यम से खर्च की गई करोड़ो की राशि से जमीन पर हरियाली की जगह पंचायत के जनप्रतिनिधियों से लेकर कर्मचारियों के चेहरों पर जरूर दिखाई देने से नही चूक पा रही है? सच्चाई पर नजर डाली जावे तो क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायतों में वर्तमान समय तक बमुश्किल 10 प्रतिशत भी पेड़ सुरक्षित नही है। अधिकतर ग्राम पंचायतों का हाल यह है कि लगभग सारे पेड़ सूख चुके है और उनके लिए बनाए गए प्लेट फार्म टूटकर बिखरते हुये दिखाई देने से नही चूक पा रहे है। उल्लेखनीय है कि कुछ वर्ष पहले क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायतों मे ग्रामीणों को काम देने और हरियाली बढ़ानें के उद्देश्य से शासन की राशि खर्च करते हुये बड़ी संख्या मे पेड़ लगाए गए थें जिसके लिए करोड़ो रूपये का बजट खर्च किया गया था। वही इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मे वृक्षारोपण, वृक्षों की सुरक्षा एवं सिंचाई पर लगभग लाखो रूपये की राशि खर्च की गई थी। लेकिन इस प्रकार से खर्च की गई राशि का शायद ही कही दिखाई दे रहा हो? यही हाल पंचायतों में भी देखा जा रहा है जहां पर बीते हुये बारिश के दौरान बड़े उत्साह के साथ किये गये वृक्षारोपण के चलते किसानों के खेतों में मेडो पर पंचायतों द्वारा वृक्षारोपण करते हुये पंचायतों के बिल बाऊचर तो हरयाते हुये देखे जा रहे है। मगर मौके पर पेड शायद ही कही नजर आ रहे हो? बताया जाता है कि संपूर्ण जिले में बीते हुये बारिश के सीजने पर हरियाली योजना के अंतर्गत क्षेत्र की लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायतों मे पौधें लगाने के लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी जिसमें क्षेत्र की सभी पंचायतों में वृक्षा रोपण किया गया था, जो मुख्य सड़कों के साथ साथ ग्रामों में किसानों की मेड़ो पर भी पंचायतों द्वारा वृक्षारोपण के नाम पर राशि खर्च की गई थी। मगर सबाल यह पैदा हो रहा है कि लाखों की राशि खर्च करते हुये पंचायतों द्वारा रोपे गये पौधा कहा गायब हो गये किसी को पता ही नही है? इस प्रकार से सही मायने में देखा जावे तो वह वृक्षारोपण कार्यक्रम मात्र कागजों तक ही सीमिति होकर सिर्फ शासकीय राशि को बर्बाद करने का खेल ही साबित होते हुए जान पड़ रहा है? कुछ वर्ष पहले शासन के आदेश के चलते सभी पंचायतों को अपने अपने ग्रामों में वृक्षारोपण करने के आदेश जारी किये गये है जिसके चलते अनेक पंचायतों द्वारा अपने अपने गांवों में वृक्षारोपण करते हुए सोशल मिडिया या फिर अन्य साधनों के तहत अधिकारियों ने तक पौधा रोपण करने की फोटो पहुंचाने में देर नही की गई थी जिसके चलते इस प्रकार से वृक्षारोपण कार्य तो हो चुका है और जिन पंचायतों में वृक्षारोपण हुआ है वहां पर एक पेड़ पर इतने लोग बैठकर फोटो निकलवाते हुए दिखाई देखे गये थें कि पेड को सुरक्षित रहने की कल्पना ही मुश्किल होते हुये जान पड़ने से नही चूक रही थी? जबकि सच्चाई पर गौर किया जावे तो जिन पंचायतों में वृक्षारोपण हुआ है यदि उन पंचायतों के सरपंचों से पूछा जावे की आखिर में उनके द्वारा कौन कौन से पेड़ रौपे गये है तो उन्हें भी उनका पता ही नही होगा कि उनके द्वारा रोपे गये पेड़ का नाम क्या है और रोपे गये पौधों की स्थिति इस समय किस प्रकार की है? इस प्रकार की सच्चाई के चलते जहां शासन के आदेश पर हर वर्ष पंचायतों में वृक्षारोपण के नाम पर शासकीय राशि की बर्बादी होते हुए आसानी से देखी जा रही है? वही दूसरी ओर देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से शासन द्वारा गांवों व शहरों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण करने की मुहिम चलाई जा रही है जिसके चलते ग्राम पंचायतों में शासन की राशि की होली खेलते हुये कागजों में खूब वृक्षारोपण होते हुए दिखाई पड़ रहे है। मगर आज यदि मौके पर जाकर देखा जावे तो शायद ही किसी पंचायत में चंद माह पूर्व रोपे गये पौधे दर्शन हो पाये यह मुश्किल बात है? जहां शासन द्वारा नये वृक्षों को रोपने के लिए लगातार मुहिम चलाते हुए शासकीय राशि खर्च कर रही है। मगर जो पेड़ लगे हुए है उनकी सुरक्षा के लिए कोताही बरती जा रही है जिसका उदाहरण आये दिन पेड़ो पर जिस प्रकार से कुल्हाड़ी चलते हुए देखी जाती है उससे शासन द्वारा वृक्षा रोपण के नाम पर चलाई जाने वाली मुहिम पर अपने आप ही प्रश्न चिन्ह लगते हुए दिखाई देने से नही चूक रहा है? क्योंकि शहर की शासकीय भूमि पर जहां तहां लगे हुए हरे वृक्षों पर दना दन कुल्हाडी चलते हुए देखी जा रही है। कुछ इसी प्रकार का हाल ग्रामीण क्षेत्रों में भी आसानी से देखने मिल रहा है, जिसको लेकर लोग यह बात कहने से नही चूके कि एक ओर शासन पंचायतों में पर्यावरण सुधारने के लिए हरियाली फैला रहा है। वही दूसरी ओर जहां हरे भरे वृक्ष खड़े हुए है उन पर कुल्हाडी चलवा रहा है? काबिल गौर है कि कुछ इसी प्रकार से लगभग सात वर्ष पहले ग्राम पंचायतों द्वारा रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को काम मुहैया कराने व विकास के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की गई थी जिसके चलते हर वर्ष पंचायतों में शासकीय राशि खर्च करते हुए सैकड़ों पेड़ लगवाये गये थें वह पांच साल बाद भी नजर नही आ रहे है जिसके चलते यह योजना मात्र कागजों तक ही सिमट कर रह गई है और क्षेत्र के अनेक ग्राम पंचायतों के बीते हुए पंचवर्षीय कार्यकाल में सरपंच, सचिव व अधिकारियों की इस घोर अनियमितता के चलते क्षेत्रवासियों का हरित क्रांति का सपना अधूरा रह गया है। इसी का परिणाम है जिसके चलते देखा गया था कि गांव गांव वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू होते ही क्षेत्र के नेताओं से लेकर अधिकारियों द्वारा एक पेड़ के साथ साथ चार चार लोगों की सफेदी मारते हुए अखबारों में फोटो दिखाई दे रही थी मगर उनके द्वारा रोपे गये पौधा कहा गायब हो गये इसकी खोजकर पाना मुश्किल ही जान पड़ रहा है?

शहर में अनेक जगहों पर खाली पड़े हुए भूखंडो की गंदगी से परेशानी, प्लाटों की पड़ताल नहीं करा रहा प्रशासन

हरिभूमि न्यूज/ गाडरवारा। अचल संपत्ति सहेजने की जल्द बाजी में लोंगो ने शहर में ढेरो प्लाट तो खरीद लिए हैं पर वर्षो से इन प्लाटों पर उनके द्वारा मकान न बनाने की स्थिति में ये खाली भूखंड शहरवासियों के परेशानियों का कारण बनते जा रहे है। अनेक वार्डो, कालोनियो के निवासियो ने बताया कि उनके रहवासी क्षेत्र में रिक्त प्लाटों में गंदगी के साथ साथ गंदा पानी भरा हुआ है,जिससे मच्छरों के पनपने का सिलसिला थम नहीं रहा है और ये खाली भूखंड़ आवारा जानवरों का अड्डा बनकर रह गए है। विदित हुआ है कि नगर के कई वार्डो में खाली प्लाटों की खोज खबर उनके मालिक भी नही ले रहे है, जिससे लोग इन रिक्त प्लाटों का उपयोग कचराघर की तरह कर रहे है और नगर के अधिकतर खाली भूखंड झाड झकाड़, कांच के टुकडों, पॉलीथिन की खाली थैलियो से पट गए है और वर्षो से बारिश के दिनों के दौरान होने वाला पानी भरने से विशाल गड्ढे में तब्दील होते जा रहे है। शहरवासियो का कहना है कि मकान बनाने प्लाट खरीदना बुरी बात नहीं है किन्तु लम्बी अवधि तक इन उपयोग न करना जनहित

की अनदेखी करना चिंता जनक है, जिसके चलते शहर में सर्वत्र पड़े खाली प्लाटों पर जो भीषण गंदगी प्याप्त है उससे वार्डो के निवासी, राहगीर,स्कूली बच्चें तो परेशान हो ही रहे है, साथ ही नगर का रूप रंग भी बिगड़ रहा है। इस तरह खाली प्लाटों की समस्या से हलाकान लोंगो के अनुसार हालत यह है कि खाली भूखंडो के मालिकों ने अपने रिक्त प्लाटों की कीमत बढ़नें की आस में उन्हे उपेक्षित छोड़ दिया जाता है और स्वयं के प्लाटों की साफ सफाई कराने से मुंह मोड़ लिया, इसके अलावा सार्वजानिक न होने की स्थिति में नपा. के सफाई कर्मियो ने इन प्लाटों की नियमित सफाई करने से किनारा कर लिया, ऐसी स्थिति में शहर के अनेक वार्डो व कालोनियो में खाली पड़े हुए प्लाट आमजनो की मुसीबत का सबब बन गए। वही दूसरी ओर के वार्डो व कालोनियो के निवासियो ने बताया कि रिक्त पड़े हुये इन प्लाटों की शोचनीय दशा के बारे में आवाज उठाने के बाद भी सम्बंधित प्रशासन ने खाली भूखंडो के मालिको को अपने प्लाट सुरक्षित करने सचेत नही किया और न ही प्रशासन ने कभी यह पड़ताल करायी कि शहर में कितने खाली प्लाट पड़े है और उन पर किन कारणो, परिस्थितियों के चलने मकान नही बन रहे है? और किस अधिकार के तहत खाली भूखंडो के मालिक वार्डो, कालोनियो में गंदगी फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे है, शहरवासियो ने प्रशासन से गुहार लगायी है कि शहर में खाली भूखंडो के मालिको को वह अगाह करने की पहल करें कि वे अपने गंदगी से युक्त हो रहे प्लाटो की रखवाली करें तथा उनके खाली प्लाट माहौल को प्रदूषित करने का सबब न बनें।

कल से लागू हुये नये कानूनों के संबंध में पुलिस द्वारा बैठक

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा।

नागरिकों को शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने हेतु तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), कल एक जुलाई 2024 से लागू हो गये हे। इन नये कानूनों से आमजनों में जागरूकता हेतु बीते हुये सोमवार को अनुविभागीय अधिकारी कलावती व्यारे, उप पुलिस अधीक्षक रत्नेश मिश्रा तथा नगर निरीक्षक उमेश तिवारी, तहसीलदार नेताम सहित वन अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक का आयोजन करते हुये नये कानूनो की जानकारियों से अवगत करायागया। उल्लेखनीय है कि देश के कानून में कुछ बदलाव किए हैं, जो 1 जुलाई को तीन नए कानून गृह मंत्रालय लागू कर रहा है। भारत सरकार द्वारा जो नए कानून जारी किये जा रहे है वह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं, जो कि औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन नए कानूनों का उद्देश्य देश के नागरिकों को त्वरित न्याय देना है। साथ ही न्यायिक और अदालत प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है। एक जुलाई से लागू हुए तीन नए कानूनों के प्रति जागरूकता हेतु आयोजित की गई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि देश में लागू हुए तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) जो कानून लागू हये है अब उन्ही के आधार पर संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया संचालित होगी। वही बदलते अपराधिक स्वरूप को देखते हुए नवीन परिभाषाओं एवं विवेचना में तकनीक का प्रयोग। नए कानून का उद्देश्य आमजनों को त्वरित न्याय देना है। जीरो एफआईआर - देश के किसी भी थाने पर दर्ज कराई जा सकेगी। वही नये कानून के तहत आम व्यक्ति अब ऑनलाइन भी करा सकते हैं शिकायत दर्ज। अनुसंधान प्रक्रिया एवं साक्ष्य अभिलेखन में डिजिटल प्रणाली के प्रयोग को अपनाया गया है। जैसे - जप्ती की कार्यवाही की ऑडियो -वीडियो ग्राफी। वही को विवेचना की प्रगति से अवगत कराया जाना। मुख्य रूप से आमजनों को जानकारी दी गयी है। वही बताया गया कि जिन धाराओं को समाप्त किया गया है उसमें राजद्रोह, आत्म हत्या का प्रयास, अप्राकृतिक रूप से संभोग करना, ठग, ठग हेतु दंड, व्यभिचार शामिल है। वही जो नई धाराओं को जोडा गया है। उसमें चाइल्ड बालक/बालिका, भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्पेरण, प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुये ..., न्यायालय की अनुज्ञा के बिना प्रकाशन, क्रूरता, अपराध कारित करने के लिये बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित व नियुक्त करना, मॉब लिचिंग सहित अन्य धाराओं में इजाफा हुआ है। इन जानकारियों से आमजन को अवगत कराया गया।

लेडी नदी पुल पर कीचड़ ही कीचड़, आये दिन फिसलकर गिर रहे वाहन चालक

हरिभूमि न्यूज/सडूमर।

जहां एक ओर लोगों को अच्छी सुविधाए देने के लिए जहां तहां सड़को का निर्माण हो रहा है। मगर वही दूसरी ओर देखा जा रहा है कि पूर्व की बनी हुई सड़क जहां बदहाल स्थिति में पहुंचने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी ओर न तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे है और न ही संबंधित विभाग के अधिकारी। इस बात की सच्चाई इस समय जनपद पंचायत चांवरपाठा के अंतर्गत ग्राम सडूमर से कौड़िया मार्ग पर देखने मिल रही है। बताया जाता है कि इस मार्ग पर सड़क का निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ था और चंद दिनों में टूटना शुरू हो चुकी सड़क अपनी गुणवत्ता की कहानी कहने से नही चूक रही है। इतना ही नही इस मार्ग पर ग्राम महगंवा व

चिर्रिया के बीच पड़ने वाली लेडी नदी पुल एवं सड़क मार्ग पर कीचड़ ही कीचड़ होने के कारण यहां से आने जाने वाले दो पहिया वाहन चालक फिसलकर गिर रहे है और घायल हो रहे है। इस संबंध में क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस प्रकार से बदहाल हो रही सड़क नदी के पुल पर हो रही कीचड़ के चलते दिन में तो वाहन चालक जैसे तैसे पुल पार करके निकल जाते है, लेकिन रात्रिकालीन समय अधिकांश घटनाएं होती है,इस मार्ग से प्रतिदिन सडूमर, कौड़िया, सुपारी, देगुंवा, तिगवां, मंहगवा, नया गांव आदि ग्रामों के लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसके आलवा क्षेत्र के छात्र छात्राओं द्वारा भी कौड़िया या गाडरवारा शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसी मार्ग से आना जाना करते है जिनको यहां की नदी के पुल पर फैले हुए कीचड़ के साम्राज्य के चलते परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? अतः क्षेत्र के लोगों द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ संबंधित अधिकारियों से सड़स सुधार के साथ साथ पुल की मिट्टी हटवाये जाने की मांग की गई है।

बिना नम्बर के चल रहे सैकेडों टैक्ट्रर, दुर्घटना की बनी आशंका

हरिभूमि न्यूज/नांदनेर/गाडरवारा। जहां एक ओर प्रशासन द्वारा क्षेत्र के अनेक जगहों पर चैकिंग प्यांट लगाकर वाहनों की चैकिंग तो की जा रही है, मगर इसके बाद भी जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा ऐसे वाहनों को नजर अंदाज किया जा रहा है जो वर्षो से बगैर नम्बर प्लेट के दौड़ रहे है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो ट्रेक्टर क्षेत्र में रेत, मुरूम का अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है, एक तरफ जहां कभी कभी विभाग द्वारा इस ओर कार्रवाई की जा रही है, वही अवैध उत्खनन करने वाले अपने उत्खनन के दौरान अधिकांशत रेत कोरोबारी उन ट्रेक्टरों को उपयोग में ला रहे है जिनमें नम्बर नही लिखा हुआ है, इस प्रकार से बगैर नम्बरों के टेक्ट्रों से ढुलाई कराने के चलतें जहां एक तरफ राजस्व को लाखों का नुकसान हो रहा है। वही इस पर अभी तक आर टी ओ विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नही किये जाने कारण इन टेक्टर वालों के हौसले बुलंद है, क्षेत्र की सड़कों पर इस प्रकार से सैकड़ो ऐसे ट्रेक्टर

बगैर नम्बर चल रहे है, जिनमें देखा जावे तो अधिकांश अवैध उत्खनन के कार्य में संलिप्त है? टैक्टरों में जहां एक तरफ बिना नम्बर होने के चलते दुर्घटना के बाद इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाती है। वही अवैध उत्खनन के समय छापे के दौरान टेक्टर चालकों और मालिकों के भाग जाने से अवैध उत्खनन करने वालों की जानकारी भी आसानी से नही मिल पाती है। इस स्थिति में संबंधित विभाग की लापरवाही के चलतें जहां क्षेत्र की सड़कों पर इस प्रकार से दौड़ रहे उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि इस समय यह भी देखा जा रहा है कि ट्रेक्टर चालको द्वारा रात के समय ट्रेक्टर का उपयोग करते समय सामने का एक ही लाईट चालू किया जाता है जिससे सामने आने वाला व्यक्ति उसे दो पाहिया वाहन समझकर साईड देता है और वह दुघर्टना ग्रस्त हो जाता है। अतः शासन प्रशासन से मांग की जाती है कि बगैर नम्बर तथा एक लाईट व बगैर लाईट के टेक्टरों के खिलाफ एक मुहित के तहत कार्यवाही की जावें।

खबर संक्षेप

मंदिर, आश्रम में संदिग्ध अवस्था में मृत मिला बालक

डिण्डौरी। कोतवाली थाना अन्तर्गत जोगीटिकरिया में गोरखनाथ राधा कृष्ण मंदिर आश्रम में रविवार शाम लगभग 5.30 बजे मृत अवस्था में 7वीं कक्षा का छात्र मिला । जानकारी लगते ही ईलाके में सनसनी फैल गई । आश्रम के संचालक सूरज नाथ पिता लक्ष्मी प्रसाद यादव उम्र 40 साल निवासी सुबखार रैयत थाना डिण्डौरी ने पुलिस को दिये कथन में बतलाया कि मेरे छोटे भाई सतीष यादव का लडका जो रिश्ते में मेरा भतीजा है गोविन्द यादव उम्र 14 साल मेरे साथ रहकर माध्यमिक शाला जोगीटिकरिया में 7वीं कक्षा की पढाई कर रहा है । रविवार को दिन में करीब 12.30 बजे मैं जोगीटिकरिया निवासी बिहारी नाथ के यहां गया था आश्रम में भतीजा गोविन्द यादव अकेला था । शाम लगभग 5.30 बजे जब मै वापस आश्रम आया तो देखा कि रसोई में जहां मै सोता हूँ वहां पर भतीजा गोविन्द चित्त अवस्था में पडा था आवाज देने पर नही उठा तब मै गोविन्द को हांथ से हिलाया और नब्ज देखा तो कुछ समझ नही आया तब भोला यादव एवं संजू झारिया के साथ एक कार में तुरंत जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचा जहां चिकित्सको ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। जिसकी सूचना कोतवाली में दी गई, पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए शव का पीएम करा स्वजनो को सौप दिया । पुलिस ने घटना के सबंध में सभी पहलुओ में जांच शुरू कर दी है।

शासकीय कार्य में लापरवाही करने पर पटवारी को नोटिस जारी

डिंडौरी। उमेश कुमार जैन पिता खेमचंद जैन निवासी डिंडौरी तहसील व जिला डिंडौरी द्वारा खसरा नंबर 463 जो शासकीय आबादी भूमि पर है। बिना किसी सक्षम अनुमति एवं दस्तावेज के बहुमंजिला इमारत निर्माण किया जा रहा है। जो कि अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।

मकान मालिक को 05 जुलाई के पूर्व मय दस्तावेज के अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। साथ ही साथ संबंधित क्षेत्र के पटवारी भगवत प्रसाद साहू हल्का पटवारी डिंडौरी के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में लापरवाही किंतु आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्त निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जो सिविल सेवा आचरण का नियम का उल्लंघन करने पर अनुविभागीय अधिकारी डिंडौरी के द्वारा पटवारी एवं मकान मालिक को नोटिस जारी किया गया।

आज से होगी सहायक जेल अधीक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती की परीक्षा

अनूपपुर। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा सहायक जेल अधीक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 25 मई 2023 से 20 जून 2023 तक आयोजित की गई थी। इसका परीक्षा परिणाम 14 मार्च 2024 को घोषित किया जा चुका है। सहायक जेल अधीक्षक एवं जेल प्रहरी के पदों के सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट द्वितीय चरण की परीक्षा जेल विभाग द्वारा स्वयं लिया जाएगा। प्रथम चरण में चयनित उम्मीदवारों का शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल में 2 जुलाई 2024 से 7 जुलाई 2024 तक प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। सफल अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्रों को निकालकर नियत तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों एवं जानकारी सहित शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट के लिए उपस्थित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि सहायक जेल अधीक्षक के 33 पद एवं जेल प्रहरी के 200 पदों के लिए मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा क्रमशः 414 एवं 2264 अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण हेतु पात्र पाया गया है, जिनका द्वितीय चरण में शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट लिया जाना है। शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल अंतिम चयन सूची जारी करेगा, जिन्हें जेल विभाग द्वारा प्रहरी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

निर्माणाधीन दो मंजिला पक्का मकान हुआ धरासायी

मलबे के नीचे दबने से तीन मजदूर घायल, एक की मौत

रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला गया

डिंडौरी

जिले में विगत दो दिनो से हो रही बारिस से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है लगातार बारिस होने के कारण गाडासरई थाना अन्तर्गत करबेमट्टा में सोमवार सुबह लगभग 5 बजे एक दो मंजिला मकान ढह गया जिसमें रह रहे चार मजदूर मलबे के नीचे दब गये। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गाडासरई पुलिस ने ग्रामींणो की मदद से रेस्क्यू कर सभी मजदूरो को बाहर निकाला जिसमें एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई। वही तीन घायल मजदूरो को स्वास्थ्य केन्द्र गाडासरई में लाकर भर्ती कराया गया जहां एक की हालत गंभीर होने से प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया । वही मृतक के शव को पंचनामा की कार्यवाई के बाद पीएम के लिए रवाना कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक करबेमट्टा में एक निर्माणाधीन मकान में मोरध्वज पिता हेमसिंह मरावी उम्र 28 वर्ष निवासी धवाडोंगरी, यशवंतसिह पिता दलसिंह नेताम उम्र 23 साल निवासी धवाडोगरी, जागेश्वर पिता भोगसिंह उम्र 32 साल धवाडोंगरी, एवं शंकर बंजारा पिता जगदीश बंजारा उम्र 30 साल निवासी धवाडोंगरी पिछले चार माह से रह रहे थे और इस मकान के अलावा अन्य मकान निर्माण में मजदूरी का कार्य करते थे। रविवार को सभी मजदूर भोजन करने के बाद सो गये थे। सोमवार सुबह लगभग 5 बजे अचानक मकान भरभरा कर गिर गया जिसके मलबा के नीचे चारो मजदूर दब गये । पडोसियों ने मकान गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे और पुलिस को इस बावद सूचना दी । जिसके बाद पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच ग्रामींणो की मदद से रेस्क्यू शुरू किया ।

तीन नये कानून को लेकर मेंहदवानी में जन जागरुकता सम्मेलन आयोजित

मेंहदवानी। पुलिस थाना मेंहदवानी में सोमवार को शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे के मुख्य आतिथ्य में तीन नये कानून को लेकर जनता जागरुकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संबंध में पुलिस थाना प्रभारी एस एस उसराठे ने बताया कि 1 जुलाई से देश में 164 साल पुराने कानून बदल जाएंगे और तीन नये कानून लागू होंगे। अब नये कानून के अन्तर्गत होने वाले अपराध हत्या, लूट, डकैती, चोरी, महिलाओं एवं बच्चों पर घटित अपराध होने पर नई धाराओं के तहत केस दर्ज होंगे। इस अवसर पर जनपद पंचायत मेंहदवानी के अध्यक्ष रामप्रसाद तेकाम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती इंद्रावती धुर्वे, जिला सदस्य श्रीमती रेखा आर्मो, जनपद सदस्य जेएस मरकाम, वरिष्ठ नेता रामगोपाल साहू, भाजपा जिला उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष दुर्गेश साहू, महामंत्री गुलाब भवेदी, सुदामा बर्मन, बैजनाथ साहू तथा कई ग्राम पंचायतों के सरपंचगण, वन परिक्षेत्र अधिकारी मनीष पटैल, बीएमओ चन्द्रशेखर धुर्वे,बीईओ एच एस मसराम, एसडीओ एच एस परस्ते,खंड पंचायत अधिकारी के एल झारिया, महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक दशोदा भलावी, राजस्व निरीक्षक, पटवारीगण, स्कूली छात्र छात्राएं सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहे।

नया कानून जागरूकता जन संवाद कार्यक्रम

डिंडौरी। आज दिनाँक 01.07.2024 से सम्पूर्ण भारत में लागू होने वाले नये कानून भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय डिण्डौरी (म.प्र.) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डिण्डौरी एवं उप पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना परिसर समनापुर में जन संवाद एवं जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया जिसमें थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि गण, जनपद सीईओ, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर व शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय समनापुर के प्राचार्य, शिक्षकगण, स्कूली बच्चे, ग्राम रक्षा समिति सदस्य, ग्राम कोटवार, वन विभाग, पंचायत विभाग, डाक विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, जनपद पंचायत प्रतिनिधिगण, विभिन्न ग्राम पंचायतो के सरपंच-सचिव, पत्रकार गण एवं थाना स्टाफ सहित लगभग 250 लोग उपस्थित हुए जिन्हे थाना प्रभारी समनापुर, जनपद सीईओ, प्राचार्य एवं जन प्रतिनिधियो के द्वारा नये कानूनो के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि गणो द्वारा थाना परिसर में वृक्षारोपण किया गया ।

बजाग थाना परिसर में संपन्न हुई बी एन एस हेतु बैठक

डिंडौरी। थाना परिसर बजाग में पूरे देश में कानून न्याय संहिता लागू हो गई है जिसमें अनेक धाराओं के नंबर बदले गए हैं जिनमें अनेक कानून न ए तथा अनेक कानूनों को समाप्त किया गया है। इसी तारतम्य में थाना परिसर बजाग में एक बैठक हुई जिसमें विभागीय अधिकारी एस डी ओ पी , टी आई बी पंडोरिया, एस आई अशोक तिवारी, अजय पाल डिप्टी रेंजर, डाक्टर विपिन सिंह, शंकर धुर्वे सरपंच बजाग रैयत, द्रोपदी रौतेल सरपंच बजाग माल, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश्वर साहू, वरिष्ठ भाजपा नेता कमलेश पटेरिया, धर्मेंद्र पाल मानिकपुरी ओबीसी मोर्चा जिला संयोजक, प्रमोद साहू, चूरामन साहू, मुरारी साहू, नीरज मुजवार, यशवंत साहू सहित अनेक गणमान्य एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहें।

शासकीय महाविद्यालय करंजिया मे मनाया गया दीक्षारंभ समारोह

करंजिया। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 1 जुलाई को शासकीय महाविद्यालय करंजिया में नव प्रवेशित विद्यार्थियों को नए परिवेश में सहज महसूस कराने, उनमें संस्थान की विशिष्ट प्रकृति तथा संस्कृति को सिखाने, अन्य छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ संबंध बनाने तथा उन्हें व्यापक उद्देश्य तथा स्वयं की खोज की भावना से परिचित कराने के उद्देश्य से दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया द्य दीक्षारंभ कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रमोद कुमार वास्पे ने मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया द्य तत उपरांत महाविद्यालय के प्रो. अजय सिंह ने दीक्षारंभ समारोह की रूप रेखा को विस्तार से उपस्थित विद्यार्थियों के मध्य अपने विचार रखें जिसमे संकाय मार्गदर्शक, एनसीसी, एनएसएस, शासन की महाविद्यालय में संचालित विभिन्न योजनाए आदि पर विस्तार से चर्चा की गई।

कला, संस्कृति के साथ व्याख्यान भी होंगे

तीन दिनों तक आयोजित होने वाले दीक्षारंभ कार्यक्रम का उद्देश्य नए विद्यार्थियों को नए परिवेश में सहज महसूस कराने, उनमें संस्थान की विशिष्ट प्रकृति तथा संस्कृति को सिखाने के प्रयास होंगे। समारोह के दौरान कई तरह की गतिविधियाँ होंगी। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस दौरान विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। साथ ही इसमें शारीरिक क्रियाकलाप, मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सृजनात्मक कला तथा संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम होंगे। इस दौरान विद्यार्थियों की आकांक्षाओं का समाधान किया जा रहा है।

''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान से जुड़े प्रत्येक प्रदेशवासी

डिंडौरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "एक पेड़ मां के नाम" अभियान चलाया है। मध्यप्रदेश सरकार भी पर्यावरण के प्रति गंभीर है। लगभग साढ़े 5 करोड़ पौधे मध्यप्रदेश में लगायेंगे। ऐसा प्रयास है कि प्रदेश में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच अलग-अलग जिलों में इस अभियान को चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक टीवी संदेश के माध्यम से कहा कि मुझे संतोष है कि कई जिले जैसे डिंडौरी में लगभग 5 लाख पौधे लगाने वाला है। जिसमें वन विभाग, आईडब्ल्यूएमपी, मध्यप्रदेश आजीविका मिशन एवं समस्त विभागों के द्वारा पौधारोपण किए जाएंगे। पौधारोपण के लिए शारदा टेकरी डिंडौरी में स्मृति वन, कन्या शिक्षा परिसर, विद्यालय परिसर, आंगनवाड़ी, शारदा टेकरी शहपुरा, नर्मदा नदी के किनारे डूब क्षेत्र के बाहर एवं पीएम जनमन के सात आदर्श ग्राम, मंगल ग्राम एवं सभी विभागों में संचालित स्थलों को चिन्हित किया गया है। पौधारोपण हेतु आम, अमरूद, नीम, पीपल, कटहल, जामुन, करंज, मुनगा, शीशम तथा शहतुत पौधों को शामिल किया गया है। ऐसे कार्यों से ही पर्यावरण का माहौल बनता है। ऐसे में पौधारोपण कर न केवल हम पर्यावरण को बचाएंगे बल्कि वानिकीकरण में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस पूरे आयोजन के प्रति सरकार गंभीर है, यह अभियान लगातार चलता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आप सभी को इस अभियान से जुड़ने की अपील करता हूँ। आप अपने परिजन को लेकर, माता जी को साथ लेकर सेल्फी लें। अगर माता जी नहीं हैं तो उनके चित्र के साथ एक पौधा लगाकर सेल्फी ले सकते हैं। अभियान के अंतर्गत निर्धारित वेबसाइट पर भी चित्र अपलोड किया जा सकता है। इससे अन्य लोग प्रेरित होंगे। शासन प्रशासन द्वारा बताए गए निर्धारित स्थान पर पौधे लगाएं, सरकार उनकी देखभाल करेगी।

ग्रामीण अंचलों में छाया अंधेरा, अंधेरे में हो रही घटनाएं, जहरीले जीव जंतुओं का बढ़ा खतरा

डिंडौरी। बरसात के शुरू होते ही जहरीले जीव जंतु अपने बिलों से बाहर निकलकर बाहर खुले वातावरण में विचरण करने लगते हैं तथा बरसात में घरों में भी घुस जाते है और यही जहरीले जंतु खतरा महसूस होने पर मनुष्यो और जानवरों को काट लेते है जिससे उनके विष से जान तक जा सकती हैं ऐसा ही एक घटना बजाग थानांतर्गत ग्राम सारंगपुर के भड़भड़ी टोला में घटित हुई है जहा एक छह साल के मासूम को सोते हुए जहरीले सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा तैयार कर मर्ग कायम करते हुए मृत बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जिसके बाद शव को परिजनों को सौप दिया गया। उक्त घटना के बाद ग्राम के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर नाराजगी जताते हुए इस घटना के लिए विभाग को जिम्मेदार ठहराया । और कहा की घटना के समय पूरा परिवार लाइट नहीं होने के कारण रात के अंधेरे में जमीन पर सोया हुआ था उसी वक्त मासूम बच्चे को सर्प ने काट लिया और बच्चे की असमय जान चली गई। लगभग दो माह से ग्राम के आवास टोला में बिजली आपूर्ति बाधित होने की जानकारी भी सामने आई हैं ।घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक सारंगपुर आवास टोला के भड़भड़ी टोला में रवि किसन पिता भानसिंह धुर्वे उम्र आठ वर्ष अपने घर में परिवार के साथ जमीन पर सो रहा था तभी सुबह चार बजे के लगभग अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर परिजन उठ गए और देखा की बच्चे को सर्प ने काट लिया है गांव में तत्काल कोई साधन उपलब्ध नही होने के चलते परिजन बच्चे को इलाज के लिए समय पर कही नही ले जा पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी और लगभग दो घंटे के बाद सुबह छह बजे बच्चे ने दम तोड दिया। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही हैं इस घटना से लचर विद्युत व्यवस्था के प्रति लोगो की नाराजगी देखी गई। बजाग आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र है यहां से कुछ दूरी पर बसे आसपास के ग्राम घने वनों से घिरे हुए हैं शाम होते आदिवासी अंचलों में घुप्प अंधेरा हो जाता हैं मैदानो और खेतो में जहरीले जीव जंतुओं के अलावा वन्यजीवो का खतरा हर समय बना रहता हैं ऐसे में बिजली का उजाला ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ा सहारा होता हैं परंतु बिजली विभाग की घोर लापरवाही से लोगो को अंधेरे में समय व्यतीत करना पड़ रहा हैं और सर्पदंस जैसी घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा हैं।

मंत्री विश्वास सारंग को हटाने कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

डिंडौरी। जिला कांग्रेस के द्वारा मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम डिंडोरी नायब तहसीलदार को ज्ञापन सोपा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक पड़वार का आरोप है की मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें अस्तित्वहीन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता एवं नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने की घटना विस्तृत रूप से उजागर हुई है जिसमें मध्यप्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है । उक्त नर्सिंग घोटाले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल की घटनाएं उजागर हुई है जिसके लिए मंत्री सारंग सीधे सीधे जिम्मेदार है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री विश्वास सारंग आज भी अपने पद पर काबिज है। उपरोक्त नर्सिंग कॉलेज घोटाला छात्र-छात्राओं के भविष्य के अंधकारमय करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव मोहम्मद सुलेमान, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत बरबडे सहित कई अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों की संलिप्तता उजागर हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों सहित आम जनता में भारी रोष व्याप्त है। अतः महामहिम आपसे निवेदन है कि प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले जैसे कलंक की सम्पूर्ण जांच कराकर कार्यवाही की जावे एवं जांच पूर्ण होने के पूर्ण प्रथम दृष्टा अपराध में संलिप्त प्रतीत हो रहे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान एवं निशांत बरबडे को तत्काल निलंबित कर जांच कार्यवाही कराई जावे एवं मंत्री विश्वास सारंग को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जावे जो न्यायोचित होगा । ज्ञापन सौपने पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष अषोक पडवार, महेन्द्र ठाकुर, तोकंसिंह मरावी, सिंग्राम धुर्वे, संतोष मरकाम, षिवकुमार, देवसिंह भारती, विष्वनाथ कुषराम, मकसूद मंसूरी, एवं खालिद सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे।

हरिभूमि

नर्मदा भूमि

10

जबलपुर, मंगलवार 2 जुलाई 2024

login : www.haribhoomi.com

करेली | तेंदूखेड़ा | श्रीधाम | सालीचौका | सुआतला | गाडरवारा | राजमार्ग | साईंखेड़ा | चीचली | करकबेल

खबर संक्षेप

करंट लगने से मजदूर की हुई मौत

नरसिंहपुर । गित दिवस थाना क्षेत्र करेली थाना अंतर्गत इमलिया वाईपास पर ओवर ब्रिज पर बाईब्रेटर चला रहे मजदूर को करंट लग गया। मजदूर बरगांव थाना किशनपुर रतवारा जिला मधोपुरा बिहार राज्य का रहने वाला था जिसका नाम लक्ष्मण पिता अर्जुन शाह तेली उम्र 26 वर्ष इमलिया ओवर ब्रिज निर्माण में मजदूरी का काम करते समय बिजली का करंट लग गया जिससे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया वही डॉक्टर ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया । पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर शव का परीक्षण के लिए शवगृह में रखवाया गया हैं जिसका पोस्टमार्टम परिजनों की मौजूदगी में किया जाएगा।

ट्रेन से गिरने से व्यक्ति की हुई मौत

नरसिंहपुर । स्टेशन गंज थाना अंतर्गत आने वाले डोकरघाट रेलवे ट्रेक पर एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ जिले के समेधा निवासी रविन्द्र सिंग पिता प्रभुनाथ क्षत्रिय उम्र 36 वर्ष ट्रेन से यात्रा करते समय डोकरघाट के पास रेलवे ट्रेक पर उक्त व्यक्ति का शव मिला वही स्टेशन गंज पुलिस को सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुँची और शव का पंचनामा कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया।

कोर्ट मोहर्रिर श्री पटेल को दी विदाई

नरसिंहपुर । गत दिवस द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा की न्यायालय में कार्यरत कोर्ट मोहर्रिर मोहन पटेल को सहायक जिला लोक अभियोजन कार्यालय गाडरवारा परिवार की ओर से उनके सेवानिवृत्ति पर भावपूर्ण विदाई दी गई। कार्यालय में आयोजित विदाई समारोह में मुख्य रूप से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संगीता दुबे, अपर लोक अभियोजक पवन अग्रवाल, सर्वेश शर्मा, महेन्द्र त्रिपाठी, सहायक ग्रेड 03 उमाशंकर दीक्षित एवं समस्त कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक पीतम सिंह, धर्मेन्द्र कौरव, रामेन्द्र नागवंशी, गोविंद मेहरा, शिवम चैधरी, सौरभ पटेल, भानु सिंह कौरव, यश मेहरा ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर मोहन पटेल को भावभीनी विदाई दी।

नवीन सत्रारंभ में हवन अनुष्ठान कार्यक्रम सम्पन्न

नरसिंहपुर । सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुर में नवीन सत्र आरंभ के अवसर पर हवन-अनुष्ठान कार्यक्रम संस्था प्राचार्य राकेश कुमार स्थापक प्रभारी प्रधानाचार्य तुलसीराम पाराशर के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। संगीत आचार्य रामशंकर पटैल द्वारा हवन-अनुष्ठान कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया जिसमें आचार्य परिवार छात्र-छात्राएं सम्मिलित हुये। शिशु वाटिका के नवीन उपकरणों के माध्यम से खेल-खेल में शिक्षा प्रदान की जा रही है।
अभिभावकगण ने आचार्य परिवार द्वारा दी जा रही शिक्षा के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय में आर्यावत की शिक्षा संस्कार युक्त जीवन मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यार्थियों का मंगल तिलक कर स्वागत किया गया।

समय सीमा की बैठक संपन्न

जिले में साढे 6 लाख पौधरोपण करने का लक्ष्य

नरसिंहपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है। मध्यप्रदेश सरकार भी पर्यावरण के प्रति गंभीर है। प्रदेश में लगभग साढ़े 5 करोड़ पौधे लगायेंगे। यह अभियान प्रदेश में एक जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच अलग- अलग जिलों में चलाया जायेगा। इस कड़ी में नरसिंहपुर जिले में लगभग साढ़े छः लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधरोपण के इस अभियान में युवाओं और विद्यार्थियों को पर्यावरण का महत्व बताने के उद्देश्य से जोड़ा जायेगा। अभियान के अंतर्गत निर्धारित वेबसाइट पर भी फोटो अपलोड की जाएगी। इससे अन्य लोग प्रेरित होंगे। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने परिजन को लेकर मां के साथ सेल्फी लें। कलेक्टर ने कहा कि ष्एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए सभी विभाग की संख्या निर्धारित कर पौधरोपण करना सुनिश्चित करेंगे। पौधरोपण के पूर्व स्थल का चिन्हांकन कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि मात्र पौधरोपण करना ही नहीं है, बल्कि पौधों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। उक्त आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने समय सीमा की बैठक में मौजूद जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए।

सेवानिवृत्त देयको के भुगतान में ना हो विलंब

बैठक में कलेक्टर श्रीमती पटले ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। इसमें मुख्य तौर पर राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, कृषि विभाग और अन्य विभाग शामिल थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी शिकायत समय सीमा के बाहर न जाए। कलेक्टर ने खाद्य विभाग अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे हितग्राही जिन्होंने विगत छः माह से राशन नहीं लिया है, उनकी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा में सेवानिवृत्त होने के उपरांत शासकीय सेवक को मिलने वाले सभी देयकों का भुगतान सुनिश्चित हो, इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग प्रमुख की होगी। आहरण एवं संवितरण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे माह की पहली तारीख तक उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को वेतन प्राप्त हो। इसके लिए शत प्रतिशत सैलरी जनरेट करने का कार्य पूर्व से कर लिया जाए।

लाड़ली लक्ष्मी योजना की समीक्षा

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना में समग्र मैपिंग एवं डीबीटी प्रतिशत कम होने पर कलेक्टर श्रीमती पटने ने अप्रसन्नता व्यक्त की।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राकेश बोहरे को निर्देशित किया कि आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में गति लाई जाए। बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों के शासकीय कार्यालय जिन्हें डिस्मेंटल किए जाने की आवश्यकता है उसकी जानकारी प्रस्तुत करें। उक्त बैठक मंल अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह, एसडीएम मनींद्र सिंह सहित अन्य जिला अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर व एसपी ने रौपा पौधा

एक पेड़ मॉ के नाम अभियान के तहत थाना कोतवाली प्रांगण में कलेक्टर श्रीमति शीतला पटले एवं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा वृक्षारोपण किया गया। हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण को स्वच्छ और प्रकृति को प्राणवायु से समृद्ध करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण के लिए जन-सामान्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान एक पेड मॉ के नाम के तहत थाना कोतवाली प्रांगण में कलेक्टर, श्रीमति शीतला पटले, पुलिस अधीक्षक द्वारा वृक्षारोपण किया गया एवं आमजनों से अपील की गयी कि आपस सभी अधिक से वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति आपने कर्तव्यों का निर्वाहन करें।

नियमों की अनदेखीः मुख्यालय में नहीं रहते रेंजर प्यासी

नरसिंहपुर। राज्य सरकार द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यालय मे निवास करने के सख्त निर्देश दिये गये। लेकिन प्रशासन के कुछ गैर जिम्मेदार अधिकारी शासन के नियमों धता दिखाते हुये नजर आते है। इसी प्रकार का मामला वन परिक्षेत्र नरसिंहपुर व गोटेगांव मे भी नजर आया जहां पर वन परिक्षेत्र अधिकारी मुख्यालय मे निवास नही करते है। जबकि सरकार द्वारा लाखों रुपये की राशि खर्च कर अधिकारी कर्मचारियों को रहने के लिये आवास बनाये गये जिससे लोगों को आपातकालीन सुविधायें भी मिल सकें। अधिकारी को पदस्थापना के बाद अतिशीघ्र भवन भी उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन प्रशासन लापरवाह अधिकारी शासन की मूल्यवान नीति को मट्टी पलीत करते नजर आ रहे है। मिली जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र नरसिंहपुर मे पदस्थ रेंजर प्रहलाद कुमार प्यासी के नाम से आवास दिया गया है लेकिन रेंजर श्री प्यासी आये दिन अप डाउन करते है जिससे लोगो बेहतर सुविधाएं नही मिल पा रही है । वर्तमान मे रेंजर श्री प्यासी गोटेगांव के प्रभार पर भी लेकिन दो प्रभार होने बावजूद भी कार्य प्रति संवेदनशीलता ना दिखाते हुये श्री प्यासी जबलपुर से अप डाउन कर सेवाएं दे रहे है जो कि नियम के विरूद्ध है। यदि आपातकाल मे क्षेत्र वन संपदा काटी जाती है तो जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नही पुहंच सकेंगे । प्रशासन को चाहिये कि ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी पर ठोस कार्रवाई की जाये।

ईंट मारकर किया घायल, जेब से निकाले पैसे

नरसिंहपुर। विगत दिवस कोतवाली थाना अंर्तगत सब्जी मंडी से बाइक से अपने घर लौट रहे युवक को अज्ञात ने पहले रोका फिर पास रखे रुपये मांगने लगा, युवक ने जब पैसे देने से मना किया तो आरोपित ने जेब में रखे रुपये निकाले और उसके बाद पीटा। इसी बीच आरोपित ने पास रखी ईंट उठाकर दे मारी, जिसके कारण युवक बुरी तरह से घायल हो गया। आरोपित घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के संजय वार्ड निवासी शफीक मोहम्मद मंडी से अपने घर लौट रहा था। तभी उसे पुल के पास एक युवक ने रोका और पैसों की मांग करनी शुरू कर दी। युवक के मना करने पर आरोपित ने ईंट से मारकर उसे घायल कर उसकी जेब में रखे पैसे निकालकर फरार हो गया है। परिजनों को घटना की जानकारी लगने पर उसे लेकर थाने पहुंचे, जहां युवक की शिकायत पर अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराकर शफीक को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है।

जिला टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

नरसिंहपुर । गत दिवस कलेक्टर श्रीमती शांतला पटले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राकेश बोहरे ने बताया कि वर्षा के दौरान डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि बीमारियां मच्छर के काटने से होती हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर को आपके घर में या आसपास पैदा ना होने दें। डेंगू फैलाने वाली एडीज मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं और यह दिन के समय काटता है। घर की छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में एक बार अपने घर में रखें टीन, डब्बा व बाल्टी आदि का पानी खाली कर दें। दोबारा उपयोग करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से सुखाएं। टायरों आदि में पानी जमाव नहीं हो। पानी के बर्तन, टंकियों आदि को ढंक कर रखें। हेंडपंप के आसपास पानी एकत्र न होने दें। घर के आसपास के गड्ढों को मिट्टी से भर दें। पानी भरे रहने वाले स्थानों पर मिट्टी का तेल या जला हुआ इंजन का तेल डालें। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनें, मच्छर प्रतिकर्षक क्रीम, क्वाईल, शाम के समय नीम की पत्तियों का धुंआ तथा सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें, जिससे मच्छर के काटने से स्वयं को बचाया जा सके। मच्छर के लार्वा को नष्टीकरण से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से बचाव किया जा सकता है। बैठक में कलेक्टर ने मलेरिया एवं डेंगू की रोकथाम के सभी उपायों का व्यापक प्रचार- प्रसार करने के निर्देश मौजूद अधिकारियों को दिये। विद्यालयों में बच्चों को भी इसकी जानकारी दी जाये। उन्होंने कहा कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों की साफ- सफाई का विशेष ध्यान रखा जायें। जन सहभागिता के माध्यम से ही डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम की जा सकती है।

प्रवेश उत्सव पर दीक्षारंभ समारोह का आयोजन

छात्र जीवन में लक्ष्य होना जरूरी: सरदार सिंह

नरसिंहपुर । सोमवार को शासकीय श्याम सुंदर नारायण मुशरान महिला महाविद्यालय मैं तीन दिवसीय प्रवेश उत्सव मनाया गया जिस अवसर पर दीक्षारंभ समारोह का आयोजन हुआ यह आयोजन 1 जुलाई से 3 जुलाई तक चलेगा दीक्षारंभ समारोह नए प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए अभिप्रेरणा कार्यक्रम का उद्देश्य नए प्रवेशित विद्यार्थियों को नए परिवेश में सरल एवं सहज महसूस करने एवं महाविद्यालय की विशिष्ट परंपरा प्रकृति और संस्कृति सिखाने और छात्रों को संकाय सदस्यों के साथ मित्रवत संबंध बनाने एवं स्वयं से स्वयं को परिचित कराने की भावना है। जिससे छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने मैं अच्छा परिवेश मिले और वह बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। वरिष्ठ समाजसेवी सरदार सिंह पटेल ने प्रवेश शिक्षा छात्राओं एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक छात्र का जीवन में एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है और उद्देश्य सार्थक बनाने के लिए सच्ची लगन से मेहनत करनी चाहिए तभी सफलता हासिल होती है एवं विसंगतियां एवं नशे से दूर रहने के लिए छात्र-छात्राओं को सलाह देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रदान की। नरसिंहपुर में कलेक्टर श्रीमती शीतल पटले के मुख्य आतिथ्य में शासकीय श्याम सुंदर नारायण मुशरान महिला महाविद्यालय नरसिंहपुर में नव प्रवेशित छात्राओं के लिए 3 दिवसीय प्रवेश उत्सव अभिप्रेरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया। नव प्रवेशित छात्राओं का स्वागत सीनियर छात्राओं द्वारा तिलक लगाकर एवं उपहार देकर किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती पटले ने महिला सशक्तिकरण को बल देते हुए महाविद्यालय की छात्राओं को सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य के निर्धारण व लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। साथ ही छात्राओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने पर बल दिया, जिससे जीवन में भी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। सरदार सिंह पटेल ने कहा कि महाविद्यालय में छात्राओं को जो भी ज्ञान प्राप्त हो उसका अपने में उपयोगी बनाना है। मंच का संचालन डॉक्टर दीपिका चक्रवर्ती द्वारा किया गया। सुनील कोठारी, लाल सहाब जाट, सतीश दुबे प्रोफेसर, बंटी सलूजा, मनोहर लाल साहू, राजू ओसबाल, एन एल रजक, प्रभारी प्राचार्य डॉ यतीद्र महोबे, डॉ प्रज्ञा गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी डॉ. यतींद्र महोबे, महाविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉ. मीनाक्षी सोभरि, सुश्री अंशुल खरे, मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉ. धीरज झा, अर्थशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. नंदन शिल्पकार सहित जनप्रतिनिधि एवं अभिभावकगण एवं नगर के विशिष्ट नागरिक विद्यार्थी मौके पर उपस्थित रहे।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों पर दिया गया प्रशिक्षण

नरसिंहपुर । भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 के प्रावधानों पर जिले में पदस्थ सभी कार्यपालिक दण्ड अधिकारियों को सोमवार को प्रशिक्षण दिया गया। जिला स्तरीय प्रशिक्षण कोतवाली नरसिंहपुर में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले व पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मौजूद थे। विदित है कि नागरिकों को शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। यह औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन नए कानूनों का उद्देश्य देश के नागरिकों को त्वरित न्याय देना है। साथ ही न्यायिक और अदालत प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है। जिले के

सभी थाना क्षेत्रों में आयोजित किए गए कार्यक्रम में जिले के गणमान्य नागरिक, आमजन, अधिवक्ता, मीडियाकर्मी, स्कूली छात्र- छात्रायें शामिल हुये, जिन्हे नवीन कानूनों के संबंध में जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में डीपीओ रामकुमार पटेल, अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा, एसडीओपी श्रीमती मोनिका तिवारी, एसडीएम मनेन्द्र सिंह द्वारा नवीन कानूनों के संबंध में जानकारी दी गयी। इसी प्रकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागेन्द्र पटेरिया थाना गोटेगांव अंतर्गत कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने आमजनों को नये कानून के प्रति जागरूक किया। साथ ही जिले के सभी एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए बदलते अपराधिक स्वरूप को देखते हुए नवीन परिभाषाओं एवं विवेचना में तकनीक का प्रयोग, नए कानून का उद्देश्य आमजनों को त्वरित न्याय, जीरो एफआईआर- देश के किसी भी थाने पर दर्ज कराई जा सकेगी। एफआईआर अब ऑनलाइन भी करा सकते हैं। शिकायत दर्ज, अनुसंधान प्रक्रिया एवं साक्ष्य अभिलेखन में डिजिटल प्रणाली के प्रयोग को अपनाया गया है, जैसे- जप्ती की कार्यवाही की ऑडियो- वीडियोग्राफी, पीड़ित को विवेचना की प्रगति से अवगत कराया गया।

बदल गया अंग्रेजों के जमाने का कानून

थाने में बैठक बुलाकर लोगों को दी जानकारी

तेंदूखेड़ा- अंग्रेजी शासन काल से चले आ रहे लगभग 164 साल पुरानी न्याय संहिता को एक जुलाई से बदलकर अब नई न्याय प्रणाली लागू की गई है।जिसे लेकर तेंदूखेड़ा पुलिस थाने में एस डी ओ पी मधुर पटैरिया ने राजस्व के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों वन कर्मियों एडवोकेट नगर के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिकों जनप्रतिनिधियों पत्रकारों एवं सभी वर्गों के लोगों की उपस्थिति के बीच विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। संगठित अपराध ई प्राथमिकी संज्ञेय असंज्ञेय जानकारी साक्षियों को डराने-धमकाने बी सी के माध्यम से गवाही पेशी गंभीर मामलों में डी एस पी रेंक के अधिकारियों द्वारा विवेचना अपराधियों को हथकड़ी लगाने के प्रावधान ई एफ आई आर करने फिर तीन दिन के भीतर थाने में जाकर दर्ज करवाने अधिक समय होने पर साक्ष्यों के हवाला देकर विंदु बार जानकारी दी गई।अलग-अलग धाराओं जिनमें बदलाव किया गया है जिसकी विस्तार से जानकारी दी गई वहीं अब पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए फरियादियों को भटकना नहीं पड़ेगा बल्कि आनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी।तो एस एम एस और ई मेल के जरिए संमंस भेजे जा सकेंगे। अपराधिक अवैध मामलों जघन्य अपराधों की वीडियोग्राफी करना अब जरुरी होगा। आई पी सी में धाराओं की संख्या 511से घटाकर बी एस में 358 धारायें कर दी गई है।20नये अपराध जोड़े गए हैं।कई अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया है। 6 छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान कई अपराधों में जुर्माना बढ़ा दिया गया है तो कई अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है।यौन उत्पीडन मामलों में सात दिनों में जांच पूरी करने झूठ बोल कर यौन संबंध बनाना भी अपराध तथा महिला अधिकारी की उपस्थिति में पीड़ाता का बयान एवं अपराधियों की गैर मौजूदगी में भी उन पर मुकदमा चल सकेगा। नाबालिग से गैंगरेप करने वाले मामलों में आरोपी को उम्रकैद या मौत की सजा सुनाई जाएगी। वहीं आईपीसी की धारा 302हत्या की सजा की जगह अब बी एन एस की धारा 103 दहेज मृत्यु के लिए धारा 304बी की जगह धारा 80 चोरी की धारा 379 की जगह धारा 303 बलात्कार की धारा 376 की जगह धारा 64 धोखाधड़ी के लिए धारा 420की जगह अब धारा 318 पति द्वारा क्रूरता से शिकार महिलाएं 498ए की जगह धारा 85 एवं आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120ए के लिए अब धारा 61 का प्रावधान किया गया है।एस डी ओ पी ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र सहूलियत से न्याय मिले। बहुत ही अच्छी कानून व्यवस्था लागू की गई है।

बनी हुई हैं जलभराव की स्थिति

तेंदूखेड़ा- शासन प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं और शासन की योजनाओं के लाख ढिंढोरे पीटे लेकिन योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित बनीं हुई है। जिसका जीता जागता उदाहरण राजमार्ग के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अमथनू के अंतर्गत आने वाले एक गांव में देखने को मिला। जहां ग्राम पंचायत अंमथनू के ढ़ाना गांव में एकमात्र हैंडपंप है और इसी हैंड पंप के आसपास फैली गंदगी जल भराव के बीच ग्रामीण गंदा पानी भरने को मजबूर है ऐसा नहीं है कि ग्राम के लोगों ने किसी को अपनी समस्या से अवगत ना कराया हो सरपंच सचिव से लेकर सभी को अपनी समस्या बताई लेकिन सुधार की दिशा में कोरे आश्वासन ही हाथ लगे हैं। गंदे पानी की वजह से तरह-तरह की संक्रमित बीमारियों से जूझना पड़ता है। कुछ ग्रामीण पीड़ति भी है । ग्रामीणों का कहना है कि बिना पानी के गुजारा भी मुश्किल है और मजबूरी ऐसी है कि पीने के लिए इसी गंदगी के बीच से उन्हें पानी ले जाने पर मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीण ने एक बार फिर जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई है कि तत्काल प्रभाव से सुधार की दिशा में पहल की जाये।

रेल्वे ईसीसी सोसाइटी के लिए चुनाव सम्पन्न, चुने गए 29 सदस्य

नरसिंहपुर। रेल्वे ईसीसी सोसाइटी के लिए चुनाव सम्पन्न हुए। इस चुनाव में कई रेल्वे यूनियन चुनाव मैदान में थी। जबलपुर मंडल के अलग अलग खंड के लिए सदस्य चुने गए। नरसिंहपुर से हाल ही में वेस्ट सेंट्रल रेल्वे एम्प्लॉई यूनियन को ज्वाइन करने वाले वरिष्ठ खंड अभियंता पीआर वर्मा एवं स्टेशन प्रबंधक करेली पीके स्वामी ने अपनी यूनियन के लिए प्रचार किया एवं पिपरिया सीट से नरेश रघुवंशी, मदन महल से आरती यादव विजयी होने के साथ एक पेनल के सभी बारह सदस्य निर्वाचित हुए। इसके अतिरिक्त मंडल की सभी 29 सीटों पर यूके ही सदस्य विजयी हुए।

शुरू हो गया नवीन शैक्षणिक सत्र

तेंदूखड़ा- वैसे तो शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार नवीन शैक्षणिक सत्र 16 जून से प्रवेशोत्सव के साथ शुरू हो गया था लेकिन एक जुलाई से ही उसकी विधिवत शुरुआत हुई है। स्कूल खुलते ही चहल-पहल भी देखनें को मिली भले ही नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया लेकिन सरकारी स्कूलों में अभी भी वही पुराना ढर्रा बना हुआ है। जर्जर स्कूलों में जहां तहां भरे हुए पानी शिक्षकों की कमी के बीच मुख्य सड़क मार्गों से भारी बाहनों के बीच स्कूल जाते छात्र छात्राएं देखे गए। तो प्राइवेट स्कूलों के सामने वाहनों की कतारें बच्चों को आने जाने में परेशानी फिर वही तुगलकी फरमान ड्रेस चेंज तो कुछ होशियार संचालक प्राशासनिक चेतावनी के बाद स्कूल से ही पुस्तकें यूनीफार्म देते सुने गये तो कुछ स्कूलों में लेकर आने जाने वाले गैस किट से चलने वाले वाहनों में क्षमता से अधिक भरे हुए बच्चों की धमाचैकड़ी देखने को मिली। चूंकि अभी शुरुआती दौर है प्रशासनिक अधिकारियों से क्षेत्र के बुद्धिजीवियों ने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से औचक निरीक्षण कर इन विसंगतियों गतिविधियों पर विराम लगाई जाये।